Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

फा.सं.सी-1/2005-एमपीलैड्स (खंड.II)

Dated 17.09.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के राज्य सभा सांसदों के एमपीलैड्स निधियों को जारी करना ।

महोदय,

दिनांक 30.05.2014 के राज्य सभा की अधिसूचना के अनुसार, तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के फलस्वरूप, 02.06.2014 से प्रभावी तेलंगाना राज्य को आबंटित 7 सीटों को भरने के लिए 18 राज्य सभा सांसदों में से 7 सांसदों को निर्वाचित समझा गया है ।

2. इसलिए, ऐसा तय किया गया है कि विभाजन से पहले लंबित किस्तों सहित एमपीलैड्स निधियां सांसदों के नए आबंटित राज्यों में उनके द्वारा चुने गए नए नोडल जिलों को जारी की जाएंगी ।

3. तत्कालीन नोडल जिलों जिन्हें निधियां विभाजन से पहले जारी की जा रही थी, को सभी पात्र सिफारिशों तथा संस्तुत कार्यों के रिकार्डों सहित सांसदों द्वारा चुने गए नए नोडल जिलों के संबंधित सांसदों के एमपीलैड्स खातों में शेष निधियों का अंतरण करना होगा ।

4. नए नोडल जिले कार्यान्वयनकर्ता जिलों तथा तत्कालीन नोडल जिलों (अब कार्यान्वयनकर्ता जिला) को, चाहे वे अन्य किसी राज्य में स्थित हों, को पहले ही संस्वीकृत कार्यों (02.06.2014 तक) सहित पहले ही सिफारिश किए गए पात्र कार्यों के संबंध में निधियां जारी की जाएंगी । इन कार्यान्वयनर्ता जिलों से समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करने की अपेक्षा रहेगी तथा ये नए नोडल जिलों को उपयोग प्रमाण-पत्र और कार्य संपन्न होने का प्रमाण-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र भेजेंगे । कार्यों के निष्पादन के उपरांत कार्यान्वयनकर्ता जिले से नए नोडल जिलों को शेष निधियों का अंतरण करना अपेक्षित होगा ।

5. तत्कालीन नोडल जिलों को राज्य के विभाजन अर्थात् 02.06.2014 के उपरांत सांसदों द्वारा किए गए कार्यों की अनुशंसाएं पात्र नहीं रहेंगी और इन पर विचार/कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा ।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।